# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 121/2019 निर्णय दिनांक –10.06.2019

1. श्री मो0 हकीम पिता पीर मोहम्मद फकीर जाति मुसलमान उम्र 55 वर्ष निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज0 ।
2. मो0 सलीम पिता पीर मोहम्मद फकीर जाति मुसलमान उम्र 48 वर्ष निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज0 ।
3. बाबुशाह पिता पीर मोहम्मद फकीर जाति मुसलमान उम्र 45 वर्ष निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज0 ।
4. जाकिर हुसैन पिता पीर मोहम्मद फकीर जाति मुसलमान उम्र 35 वर्ष निवासी कनेरा ।
5. अलीजा पिता पीर मोहम्मद फकीर जाति मुसलमान उम्र 57 वर्ष निवासी कनेरा ।
6. बीबला पिता पीर मोहम्मद फकीर जाति मुसलमान उम्र 43 वर्ष निवासी कनेरा ।
7. अख्तर पिता पीर मोहम्मद फकीर जाति मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवासी कनेरा ।
8. शहजाद पिता पीर मोहम्मद फकीर जाति मुसलमान उम्र 38 वर्ष निवासी कनेरा ।
9. परवीन पिता पीर मोहम्मद फकीर जाति मुसलमान उम्र 36 वर्ष निवासी कनेरा।
10. मु0 जेरा बेगम पत्नि स्व0 पीर मोहम्मद फकीर जाति मुसलमान उम्र 80 वर्ष निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज0 ।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

श्री लाभचन्द पिता भेरूलाल जाति धाकड आयु 46 वर्ष निवासी श्रीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

– विपक्षी

**प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट**

**आदेश**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा निम्बोदा पटवार हल्का निम्बोदा तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 155 की आराजी नं0 86 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा निम्बोदा पटवार हल्का निम्बोदा तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 155 की आराजी नं0 86 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
**उपखण्ड अधिकारी**
**निम्बाहेड़ा**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 16:47:19 IST
Reason: SelfAttested